

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PURLISHED BY AUTHORITY

	1 ODLISHED DI AUTHORITI
सं. 21]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2019/पौष 12, 1940

No. 21] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2019/PAUSHA 12, 1940

### वस्त्र मंत्रालय

## [विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय]

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 25(अ).—सेवाओं या लाभों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और यत: भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से **यार्न आपूर्ति योजना** (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कार्यान्वित कर रहा है;

और यत: इस स्कीम का लक्ष्य मौजूदा स्कीम दिशानिर्देशों के तहत अन्य के साथ-साथ व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को रियायती कीमत पर हैंक के रूप में यार्न (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) उपलब्ध कराना है;

और यत: पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय में निम्नलिखित को अधिसुचित करती है, अर्थात् :-

28 GI/2019 (1)

- 1 (1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन पूर्ण करें।
  - (2) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2019 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) जा सकते हैं।
  - (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है कि जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे आस-पास में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं उपबंध करा सकेगा।

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन व्यष्टि, लाभार्थियों को आधार समनुदेशित किया जाना है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए लाभ दिया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या
  - (ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथानिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और
- (ख) निम्नलिखित कोई भी दस्तावेज-
  - (।) मतदाता पहचान पत्र; या (॥) स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड; या (॥) पासपोर्ट; या
  - (IV) राशन कार्ड; या (V) कोई सरकारी पहचान-पत्र; या (VI) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या
  - (VII) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (VIII) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय या राज्य सरकारों द्वारा जारी पहचान-पत्र; या (IX) वस्त्र मंत्रालय या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

- 2. स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, विभाग अपने फील्ड कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-
  - (1) इस स्कीम के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 मार्च, 2019 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सके। उन्हें स्थानीय आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

- (2) यदि, ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थी आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और लाभार्थियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग के फील्ड कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित प्रभारी अधिकारी या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के पास अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकते हैं।
- (3) यदि, स्कीम के तहत लाभार्थियों ने आधार के लिए नामांकन करा लिया है और किसी भी कारण से आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है, तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करके यूआईडीएआई के नामांकन और अद्यतन ग्राहक के द्वारा "मेरा आधार सर्च करें" सुविधा प्रदान करेंगे और लाभार्थियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे आधार संख्या को साझा करने, परिचालित करने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध के संबंध में उक्त अधिनियम और उसके तहत बने विनियमों के प्रावधान के अध्यधीन, लाभार्थी के आधार को सर्च करने के लिए अभीष्ट ऑपरेटर के पास अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर, अंगुलियों की छाप और अन्य ब्यौरे देकर सहायता मोड में अपना आधार सर्च करें।
- 3. ऐसे सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमीट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित अपवाद क्रियाविधि अपनाई जाएगी, अर्थात :-
  - (1) यदि अंगुलियों की छाप खराब क्वालिटी की है तो प्रमाणीकरण के लिए आईआरआईएस स्केन की सुविधा अपनाई जाएगी, जिसके लिए विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और स्कीम के कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से अपनी सेवा प्रदाता एजेंसी से, निर्बाध रीति से लाभों के परिदान के लिए अंगुलियों की छाप के स्केनर सहित आईआरआईएस स्केनर के लिए प्रावधान करेगा;
  - (2) यदि लाभार्थियों में वरिष्ठ नागरिकों की अंगुलियों की छाप या आईआरआईएस प्रमाणीकरण में कठिनाई हो तो चेहरे का प्रमाणीकरण किया जाएगा और विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों या ऐसे लाभार्थियों के लिए चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए यथासंभव व्यवस्था करेगा, जिनके प्रमाणीकरण के लिए अन्य तरीके विफल हो गए हों;
  - (3) यदि अंगुलियों की छाप या आईआरआईएस या चेहरे के प्रमाणीकरण के ज़रिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है तो जहां कहीं भी संभव और अनुमत्य हो सीमित समय की वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या टाइम आधारित वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी), जैसा भी मामला हो, की सविधा दी जाए:
  - (4) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या ओटीपी या टीओटीपी प्रमाणीकरण संभव न हो, वहां मूल आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जाए, जिसका प्रमाणीकरण आधार पत्र पर छपे क्यूआर कोड से सत्यापित किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सेवा परिदान केन्द्र पर क्यूआर कोड रीडर प्रदान करेगा तािक वह ई-आधार पर आधार पत्र पर छपे क्यूआर कोड को पढ़ सकेगा जो ऑफ लाइन तरीके से आधार कार्ड की प्रामाणिकता का सत्यापन करने की अनुमित देता है और क्यूआर कोड यूआईडीएआई द्वारा विकसित सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जा सकेगा क्योंिक यह आधार धारक के डिजीटल हस्ताक्षरित विवरण प्रदान करता है। ऐसे सभी मामलों में लाभों या सेवा को इस प्रयोजन के लिए बनाए

गए अपवाद क्रियाविधि रजिस्टर में इस ट्रांजेक्सन को विधिवत दर्ज करके प्रदान किया जाएगा जिसकी समीक्षा की जाएगी और विभाग द्वारा अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से आवधिक लेखा परीक्षा की जाएगी तथा इन रजिस्टरों का रखरखाव और आवधिक निरीक्षण अपवाद क्रियाविधि का एक अनिवार्य घटक होगा।

4. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 10/1/2018-डीसीएच/पीएंडएस/डीबीटी]

संजय रस्तोगी, विकास आयुक्त (हथकरघा)

### MINISTRY OF TEXTILES

### [OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDLOOMS)]

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2018

**S.O. 25(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Office of Development Commissioner (Handlooms) under the Ministry of Textiles in the Government of India (hereinafter referred to as the Department), is implementing **Yarn Supply Scheme** (hereinafter referred to as the Scheme) through National Handloom Development Corporation (NHDC) (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, the Scheme aims to make yarn available in hank form at subsidized price (hereinafter referred to as the benefits) to inter-alia, individual handloom weavers (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Textiles hereby notifies the following, namely:-

- 1 (1) An individual eligible for availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
  - (2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31<sup>st</sup> March, 2019 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website (www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
  - (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities to the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case, there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agencies, shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by Department itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

- (ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and
- (b) any of the following documents, namely:-
  - (i) Voter Identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Any Government ID Card; or (vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or (vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (viii) Identity card issued by office of the Development Commissioner Handlooms, Ministry of Textiles or the State Governments; or (iv) Any other document as specified by the Ministry of Textiles or the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an Officer specifically designated by the Ministry of Textiles for that purpose.

- 2. In order to provide convenient benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency, shall make all required arrangements including the following, namely:-
  - (1) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centre available in their areas by 31<sup>st</sup> March 2019, in case they are not yet enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
  - (2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the officer in-charge specifically designated by the field offices and zonal offices of the Department, or its Implementing Agency.
  - (3) in case, the beneficiaries under the Scheme have enrolled for Aadhaar, say, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency shall provide "Search My Aadhaar" facility through UIDAI's Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their name, address, mobile number, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provision of the said Act and regulations made there under with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number.
- 3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-
  - (1) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency of the Scheme shall through its service delivery agency, make provisions for IRIS scanners along with fingerprint scanners for delivery of benefits in seamless manner;
  - (2) in case of difficulty in fingerprints or IRIS authentication of senior citizens of the beneficiaries, face authentication, shall be used and the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those senior citizens or those beneficiaries whose other modes of authentication fail;
  - (3) in case of biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be preferred;
  - (4) in all other cases where biometric or OTP or TOTP authentication is not possible, benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter and for this purpose, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar letter on E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar card in offline manner and the QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar Holder. In all such cases the benefits or service may be provided after duly recording the transaction in

the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agency and the maintenance of these registers and periodic inspection shall be an essential component of exception handling mechanism.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the State of Jammu and Kashmir.

[F. No.10/1/2018-DCH/P&S/DBT]

SANJAY RASTOGI, Development Commissioner for Handlooms